न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ...

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान :– हरनगर

राजीनामा प्रपत्र

वामें,

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, दिनांकः– 12/6/17

.....

राजकुमार वगैरह बनाम मरहमाण वगैरह

प्रकरण संख्याः– 23/16 अन्तर्गत धारा– 53,88,188 R.T. Act

होदय,

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी / वादी श्रीमति प्रीतमबाई

निवेदन है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम कारों के बीच सुलह हो चुकी है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नही रहा है। हम पक्षकारों के च सम्बन्ध अच्छे हो चुके है।

हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ हैः–

मैं प्रतिवादी सं. 6 विरजू उ कृष्णमोहन आराजी ख. नं. 1691 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा ग्राम भीकमपुरा तहसील कुरोली में ~~[illegible]~~ में से 1/4 हिस्सा वादीगण को राजीनामा में देना तय हुआ है। वादीगण के हिस्से 1/4 की डिक्री राजीनामा से हो जावे और वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर वादीगण के हिस्से में 1/4 हिस्से की खातेदारी इन्द्राज किये जावे।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की पा करे।

दी पक्ष 1. प्रीतमबाई
2. .....
3. .....
4. .....

प्रतिवादी पक्ष 1. .....
2. .....
3. मरहमाण
4. .....

हचानकर्ता के हस्ताक्षर .....
ादी पक्ष) नाम (मदन मोहन एड.)

पहचातकर्ता के हस्ताक्षर .....
(प्रतिवादी पक्ष) नाम .....

प्रार्थी / वादी प्रीतमबाई एवं अप्रार्थी / प्रतिवादी राजकुमार
मरहमाण द्वारा सम्मिलित रुप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व मझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता राजीनामा शामिल मिसल रहे।

दस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)